राष्ट्रीय जैव संरक्षण प्राधिकरण क्यों नहीं ?

प्रस्तावित भारतीय जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण विधेयक 2009 पर प्रतिक्रिया

आनुवांषिक अभियांत्रिकी और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के नियमन का मकसद इस प्रौद्येगिकी से जुडे खतरों और हानियों को नियंत्रित करना है ।

भारत में हमारी खाद्य और खेती व्यवस्था में जीन परिवर्धित जैविकों के प्रवेष को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं है । इसका अर्थ हमारे पास पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत केवल कार्यकारी आदेष या नियम ही हैं और इन नियमों को नियामकों द्वारा आसानी से बदला जा सकता है जबकि समुचित वैधानिक व्यवस्था से यह सुनिष्चित हो सकेगा कि नियमों , दिषानिर्देषों और समझौते में अलोकतांत्रिक और जब चाहे बदलाव या संषोधन न किया जा सके।

किसी भी जैव प्रौद्योगिकी व्यवस्था के जरूरी घटक

जीन परिवर्धित जैविकों की व्यवस्था से जुडी किसी भी नियामक व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी अनिवार्यता आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के खतरों से लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण का संरक्षण करना है । कानून में बुनियादी तौर पर इन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है :

– सावधानी का सिद्धांत इसका केन्द्रीय मार्गदर्षी सिद्धांत हो
– अन्य विकल्पों के अभाव में ही जीन परिवर्धन के विकल्प का चुनाव किया जाए
– अनुसंधान और सुविचारित वितरण के चरणों को स्पष्ट तौर पर अलग अलग रखा जाए , उनके लिए अलग नियामक प्रक्रिया भी तय हो
–नियमन और निर्णय प्रक्रिया में कहीं भी ऐसे तत्वों को षामिल न किया जाए जिनके हित जुडे हुए हों
– जनसहभागिता लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली : इसमें सार्वजनिक किया जाने वाला ब्योरा और लोगों से वार्तालाप निर्णय लेने से पहले हो न कि निर्णय के बाद औपचारिक सूचना मात्र दी जाए
– खतरों का आकलन
: 1: जीएम फसलों को विकसित करने वाले के लिए कडी वैज्ञानिक शर्तें रखी जाएं और उसके बाद उससे मिलने वाले दस्तावेजों का स्वतंत्र विष्लषेण हो , उसकी समीक्षा की जाए

:2: परीक्षण की सभी सुविधाओं से युक्त संस्थागत ढांचा हो जहा स्वतंत्र परीक्षण किया जाए और नतीजे का मूल्यांकन हो
– खतरों का प्रबंधन : खतरों की समीक्षा और निगरानी के साथ ही अनुमति समाप्त करने की व्यवस्था
– जिम्मेदारी : दंड सहित प्रतिपूर्ति के उपायों आदि का प्रावधान
– विकल्प चुनने के लिए सही लेबलिंग : गैर जीएम खाद्य विकल्पों की उपलब्धता , पहचान और संरक्षण की आवष्यकता
– गलती और अपील की प्रक्रिया

– भारत के संघीय ढांचे और यह देखते हुए कि खेती राज्य का विषय है, ऐसे विषेष प्रावधन किए जाने की जरूरत है जिससे प्रदेष सरकारें अपनी नियामक व्यवस्था और तंत्र कायम कर सकें

इसके अलावा कानून में प्रदूषण फैलाने वाले पर जिम्मेदारी तय करने जैसे सि़द्धांतों को शामिल किया जाए । साथ ही अंतर प्रजाति समानता को भी जगह मिले जिसमें विकल्पों और गुणवत्ता के संरक्षण के साथ ही मौजूदा और भावी पीढी को भी उपलब्धता सुनिष्चित की जा सके।

जीएमओ को हरी झंडी देने से पूर्व नार्वे जैसे देष के कानून में इस तरह के उत्तर देने का भी प्रावधान है कि क्या यह नैतिक और सामाजिक दृष्टि से न्यायसंगत है । इससे स्वतः ही सामाजिक , आर्थिक और नैतिक सरोकार और चिंताएं नियामक व्यवस्था में समाविष्ट हो जाती हैं ।

उपरोक्त आदर्ष जरूरी शर्तों को षामिल करते हुए भारत की खाद्य और खेती की व्यवस्था में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाले किसी भी कानून का वर्तमान वैधानिक व्यवस्था में अभाव है ।

समुचित कानून के अभाव और विष्वसनीय नियामक तंत्र का न होना सभी के लिए चिंता का विषय है । बीटी बैंगन को लेकर छिडी बहस के संदर्भ में जैव प्रौ़द्योगिकी विभाग भारतीय जैव प्रौद्योगिकी प्राधिकरण विधेयक लाने की कोषिष कर रहा है ।

इस विधेयक को लेकर अहम चिंताएं निम्न हैं :

1. आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादों और जीवों के अनुसंधान, परिवहन ,आयात ,निर्माण और इस्तेमाल तथा आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के सुरक्षित इस्तेमाल व संबंधित मामलों को नियंत्रित करने के उद्येश्य से भारतीय जैविक प्रौद्योगिकी प्राधिकरण की स्थापना के लिए विधेयक को मौजूदा स्वरूप में लाने की अनिवार्यता समझी गई है ।

विधेयक में ऐसा पहले ही मान लिया गया है कि प्राधिकरण की भूमिका उसे प्राप्त होने वाले आवेदनों को मंजूरी या अनुमति देने वाले सुविधा प्रदाता की होगी और यही इस विधेयक क मुख्य उद्येष्य है । लेकिन यह गलत है और इसमें यह माना गया है कि एक स्वाभाविक तौर पर असुरक्षित प्रौद्योगिकी प्रभावी और कुषल नियमन के जरिए सुरक्षित बनाई जा सकती है। जैव प्रौद्योगिकी नियमन का मुख्य मकसद जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनप्रयोगों से पैदा होने वाले खतरों से देष की जनता और जानवरों तथा पर्यावरण का संरक्षण करना होना चाहिए। इसके लिए विधेयक का नाम जीन टेक्नोलाजी और जैव संरक्षा संरक्षण अधिनियम 2010 या कुछ और होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी पर 2004 की टास्क फोर्स रिपोर्ट में स्वतंत्र और विष्वसनीय नियामक त़ंत्र की अवधारणा रखी गई थी। इसमें साफ किया गया था कि जैव प्रौद्योगिकी नियमन की किसी भी नीति में पर्यावरण संरक्षण , किसान परिवारों का कल्याण , खेती व्यवस्था का पारिस्थतिकी और आर्थिक टिकाउपन , उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य और पोषण , स्वदेशी और विदेष व्यापार का हित संरक्षण तथा सुरक्षा का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप में इन अहम पहलुओं या आधारभूत तत्वों की अनदेखी की गई है ।

2. इस तथाकथित स्वायत्त नियामक प्राधिकरण को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या खास तौर पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन विधेयक का प्रारूप जैव

प्रौद्योगिकी विभाग से जारी हुआ है । यह अपने आप में विरोधाभासी होगा और अगर प्राधिकरण इस विभाग के तहत रखा जाता है तो यह व्यवस्था अपने आप में संदेहास्पद हो जाएगी । इस प्राधिकरण को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत रखा जाना चाहिए।

3 इस कानून का अर्थ यह कदापि नहीं होना चाहिए कि राज्य सरकारों को संघीय व्यवस्था में खेती और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो संवैधानिक अधिकार हैं उनसे उन्हें वंचित कर दिया जाए लेकिन विधेयक प्रारूप में राज्य सरकारों की भूमिका राज्य जैव प्रौद्योगिकी नियामक सलाहकार समिति के रूप में महज सलाहकार तक ही सीमित कर दी गई है जिसमें उन्हें निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है । अनुच्छेद 87 .2. में तो राज्यों की स्थिति और बदतर कर दी गई है। इसके अनुसार तो इस अधिनियम के अनुरूप अगर राज्य में कोई कानून प्रभावी हो तो उसे निरस्त कर दिया जाए। कोई लाइसेंस प्राधिकारी भी अगर राज्य में संबंधित एजेंसी के तहत भले किसी और कानून के तहत हो तो उसे भी भंग कर दिया जाए। अनुच्छेद 81 कहता है कि यह अधिनियम सभी मौजूदा कानूनों की जगह ले लेगा । दो कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता : इसमें राज्य सरकारों के कृषि और स्वास्थ्य विषयों पर संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा की गई है । साथ ही यह जैविक विविधता कानून जैसे प्रगतिषील अधिनियम की भी जगह ले लेगा जिसमें जैविक विविधता के संरक्षण और टिकाउपन की बात कही गई है।

4. प्रस्तावित कानून आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी नियमन को केवल तकनीकी जोखिम आकलन और जोखिम प्रबंधन में बदल देगा जो कि एग्री बायोटैक्नोलाजी पर टॉस्क फोर्स रिपोर्ट के नतीजे और उसपर अमल की अनदेखी होगी।

5. प्रस्तावित कानून में कोई भी निर्णय लेने से पहले और स्वतंत्र व लोक जांच के लिए सूचनाओं को सार्वजनिक करने की बजाय गोपनीय वाणिज्यिक जानकारी के नाम पर सूचनाओं को छिपाने के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन देष में पिछले अनुभव ने यह दिखाया है कि यह प्राधिकरण के अधिकारियों के विवेक पर नहीं छोडा जा सकता और सभी उत्पादों के विकास तथा जैव संरक्षा संबधी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए और निर्णय लेने से पहले उसे सार्वजनिक निगरानी के लिए रखना होगा

6. प्रस्तावित कानून में कुछ आधारभूत सिद्धांतों को अधिसूचित होने वाले नियमन के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना अहम होगा जो कि इस क्षेत्र में निर्णय प्रक्रिया में मार्गदर्षी होने चाहिए। 1. सावधानी का सिद्धांत 2. अंतर प्रजाति समानता 3. अन्य विकल्पों के अभाव में ही जीन परिवर्धित विकल्प अपनाना

तीसरा सिद्धांत जाने माने आणविक जीव विज्ञानी जो इस समय सर्वोच्च नियामक प्राधिकरण में सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक भी हैं , द्वारा जीन परिवर्धित जैविकों जीएमओ के आकलन के पहले मानदंड के रूप में प्रस्तावित किया गया है । '' मौजूदा जानकारी के सतर्कतापूर्ण विष्लेषण और जरूरत हो तो संक्षिप्त अवधि में नई सूचनाएं जुटाने के बाद यह सुनिष्चित किया जाना चाहिए कि जीएमओ का कोई विकल्प नहीं है और जीएमओ अगर निर्धारित शर्तों और अनिवार्यताओं का पालन करता है तो देष को तथा नागरिकों के एक वर्ग या वर्गों को अधिक लाभ कराएगा। अगर जीएमओ की सचमुच आवष्यकता है तो इसके लिए सघन तौर पर जोखिम का आकलन किया जाए।'' डॉ भार्गव ने इसके बाद जोखिम आकलन का ब्योरा दिया है कि यह किस तरह होना चाहिए। इस तरह इस प्रमुख मानदंड के आधार पर षुरू में ही कोई आवेदन नामंजूर या स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

7. अंतिम निर्णय खास तौर पर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए तकनीकी विषेषज्ञों पर ही नहीं छोडा जाना चाहिए। इसके लिए बिंदु क्रमांक 13 पर वैकल्पिक ढांचा प्रस्तावित किया गया है।

8. चैप्टर 5 : जोखिम आकलन आवेदन के वैज्ञानिक आकलन के लिए प्रस्तावित तीन डिवीजनों जोखिम आकलन , प्रवर्तन इकाई और उसके अधिकारियों और प्रॉडक्ट्स रूलिंग कमेटी पर नहीं छोडा जा सकता। चाहे वह आयात के लिए हो या निर्माण के लिए या किसी अन्य मकसद से । जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक ने बार बार इंगित किया है कि स्वतंत्र परीक्षण और स्वतंत्र परीक्षण सुविधाओं की जरूरत है । जीएम फसल या उत्पाद तैयार करने वाले के दस्तावेज के मूल्यांकन के अलावा अनिवार्य स्वतंत्र , लोक जांच के साथ ही नतीजों के प्रमाणन के लिए स्वतंत्र परीक्षण के द्वारा जोखिम आकलन किया जाना चाहिए। किसी भी प्रस्तावित प्राधिकरण के पास इसके लिए परीक्षण क्षमता होना चाहिए।

9. जोखिम प्रबंधन के पहलुओं की प्रस्तावित विधेयक में उपेक्षा की गई है। अधिकार प्राप्त निगरानी अधिकारियों के साथ प्रवर्तन इकाई होना ही काफी नहीं है। अनुमोदन और अनुमति की समीक्षा के लिए स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। हरेक मामले में समयबद्ध अनुमति होनी चाहिए और अनुमति निरस्त करने का भी प्रावधान होना चाहिए।

.10. कुछ अस्पष्ट कारणों से अनुसंधान , परिवहन या आयात संबंधी आवेदनों के लिए जोखिम आकलन इकाई अस्तित्व में आई जिससे प्राधिकरण को स्पष्ट आकलन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। जीएमओ और उत्पादों के निर्माण या इस्तेमाल के लिए प्रॉडक्ट्स रूलिंग कमेटी होगी जो प्राधिकरण को अपनी सिफारिष देगी । इससे स्पष्ट तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि आयात से ज्यादा खतरा नहीं है और बडे पैमाने पर जीएमओ और उसके उत्पाद के आयात पर यह लागू नहीं होता है। जोखिम आकलन इकाई और प्रॉडक्ट्स रूलिंग कमेटी को अलग अलग रखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक जोखिम आकलन इकाई हो सकती है और जिस किसी से आकलन और मूल्यांकन करने की अपेक्षा की गई है उसे व्यवस्था देने की कोई आवष्यकता नही होनी चाहिए। इस इकाई को केवल आकलन रिपोर्ट और सिफारिषें देनां चाहिए

11. सीमित उपयोग और सुविचारित पर्यावरणीय रिलीज के लिए पृथक विनियमन होना महत्वपूर्ण है। किसी भी जीएमओ के सीमित उपयोग या सुविचारित पर्यावरणीय मंजूरी के लिए क्रमिक विनियमन होना चाहिए । जोखिम आकलन इकाई द्वारा जैव संरक्षा सुनिष्चित कर लिए जाने के बाद ही पर्यावरणीय रिलीज की अनुमति दी जानी चाहिए ।

12 जीएमओ निर्माण और उपयोग की पर्यावरणीय मंजूरी पर अंतिम निर्णय अतर मंत्रालयीन प्रॉडक्ट्स रूलिंग कमेटी को लेना चाहिए लेकिन प्रस्तावित कानून में इसे सलाहकार भूमिका तक सीमित रखा गया है । जबकि इसे प्राधिकरण के चेयरमैन और तीन जोखिम आकलन इकाइयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ ही निर्णय प्रक्रिया का अंग होना चाहिए । निर्णय लेने की प्रक्रिया एक व्यापक आधार वाले निकाय से संबंधित होनी चाहिए जो जैविक संरक्षा के साथ ही दूसरे पहलुओं का भी गहराई से अध्ययन कर सकता हो । इसमें अंतर मंत्रालयीन घटक भी शामिल होना चाहिए क्योंकि हमारी खेती व खाद्य व्यवस्था में जीएमओ के जैविक संरक्षा के साथ ही कई अन्य प्रभाव हो सकते हैं

13. राष्ट्रीय जैविक संरक्षा संरक्षण प्राधिकरण के लिए निम्न ढांचे की मांग की जाती है : सभी सीमित उपयोग संबंधी आवेदन नियमित तौर पर चेयरमैन और दो सदस्यों सहित तीन सदस्यों के

प्राधिकरण के जरिए प्रोसेस किए जाएं । जो कि जोखिम आकलन और स्वतंत्र परीक्षण के आधार पर मूल्यांकन करे। प्रवर्तन इकाई और उसके अधिकारियों की भी इस चरण में भूमिका हो ।

हालांकि सभी सुविचारित पर्यावरणीय रिलीज खासतौर पर कृषि , पषुपालन , मछलीपालन और वानिकी से संबंधित डिवीजन 1 के आवेदनों पर अनुमति अतर मत्रांलयीन प्रॉडक्ट रूलिंग समिति की ओर से आना चाहिए । यह संबंधित डिवीजन की सिफारिष के आधार पर निर्णय करेगी । डिवीजन आवेदन में दी गई जानकारी के वैज्ञानिक मूल्यांकन और अनिवार्य स्वतंत्र परीक्षण तथा सार्वजनिक चर्चा तथा अन्य मानकों को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिषें करेगा ।

14. प्रस्तावित विधेयक में सार्वजनिक भागीदारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । जैविक विविधता से संबंधित संधि जैविक संरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 23.2. में कहा गया है कि संबंधित पक्ष जीन परिवर्धित जैविकों के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करेंगे । भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं । इस मामले में बनने वाले किसी भी कानून में लोक विमर्ष की प्रक्रिया तंत्र में ही निहित करनी होगी । जनता से व्यापक विमर्ष के अलावा किसानों व उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

15. अपराध और दंड पर चैप्टर 13 : यह स्पष्ट नहीं है कि गलत या गुमराह करने वाली जानकारी देने से संबंधित अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है । इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो गलत या गुमराह करने वाला दस्तावेज पेष करने का दोषी पाया जाता हो । अगर इसमें आषय राष्ट्रीय जैविक संरक्षा संरक्षण प्राधिकरण को आवेदन देने वाले से नहीं है तो इसका अर्थ लोगों को प्रताडित करने से लगाया जा सकता है । अनुच्छेद 63 पूरी तरह आपत्तिजनक है और हानिकारक टैक्नोलाजी के अनुप्रयोग से चिंतित नागरिक संगठनों को प्रताडित करने के मकसद से है । इसमें कहा गया है कि कोई भी जो बिना किसी साक्ष्य या वैज्ञानिक प्रमाण के जीएमओ और उसके उत्पादों के बारे में जनता को गुमराह करेगा , उसे जुर्माने या कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा ।

16. वास्तव में दायित्व तय करने संबंधी कानून के प्रावधान काफी कमजोर हैं । आरंभिक तौर पर देखें तो कंपनियों , विष्वविद्यालयों , सोसायटियों , ट्रस्टों और सरकारी विभागों में भेद करने की कोई जरूरत नहीं है । दंडात्मक प्रावधान समान रूप से लागू होना चाहिए। दूसरा, कानून में क्षतिपूर्ति और भरपाई के प्रावधान होने चाहिए । कानून में ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे फसल विकसित करने वाले को किसी भी लीकेज , प्रदूषण आदि के लिए विकास के किसी भी चरण में जिम्मेदार ठहराया जा सके । एक साल का कारावास और दो लाख रुपए का अर्थदंड निरोधात्मक नहीं हो सकेगा और दंड को अधिक सख्त बनाया जाना चाहिए ।

17. चैप्टर 6 में जैविकों और उनके उत्पादों के आयात से संबंधित प्रावधान हैं । इसमें संदिग्ध जैविकों और उत्पादों के आयात पैकेजों को रोकने के अधिकार होने चाहिए। इसके साथ ही भारत आने वाले हरेक कन्साइनमेंट पर आयातक की ओर से यह घोषणा की जानी चाहिए कि आयातित खेप में कोई जीएमओ या उसके उत्पाद नहीं हैं ।

18. जैव प्रौद्योगिकी नियामक अपीलीय प्राधिकरण से संबंधित प्रावधान : जैसा कि राष्ट्रीय जैव संरक्षा संरक्षण प्राधिकरण के विधेयक 2008 के प्रारूप में इंगित किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के 30 दिन के भीतर अपील करना हरेक के लिए संभव नहीं हो सकता और इसका कोई कारण नहीं है कि इस प्रावधान को अनुच्छेद 42.1. में शामिल किया जाए । इस ट्रिब्यूनल को और व्यापक आधार वाला होना चाहिए और कुछ निष्चित तकनीकी विषेषज्ञता से परे

भी कुछ लोग इसमें शामिल किए जाने चाहिए । ट्रिब्यूनल के न्यायिक क्षेत्र, षक्तियों और अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 55.1. में ट्रिब्यूनल द्वारा आधुनिक जैविक प्रौद्योगिकी से जुडे मामलों की सुनवाई करना अपेक्षित है लेकिन यह उचित नहीं होगा कि वर्तमान में लंबित जनहित याचिकाओं को भी उसे सौंप दिया जाए । इस ट्रिब्यूनल को केवल उन्हीं मामलों को लेना चाहिए जो उसके पास अपील के लिए आएं । अनुच्छेद 55.3. में किसी भी मामले के दायर करने के लिए दो साल की समयसीमा तय करना भी उचित नहीं है। किसी तरह की समय सीमा नही होनी चाहिए। क्योंकि कुछ प्रभाव दो साल की समयसीमा के बाद भी देखने में आ सकते हैं ।

19. अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल सिविल प्रोसीजर कोड से नहीं बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से निर्देषित होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के साक्ष्य संबंधी नियमों से यह बंधा नही होगा तथा भारतीय दंड विधान व आपराधिक दंड संहिता की कुछ विषिष्ट धाराओं के तहत ट्रिब्यूनल की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। इन प्रावधानों का विषेषज्ञों द्वारा और अध्ययन किए जाने की जरूरत है ।

20. खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 में कुछ संषोधन प्रस्तावित किए गए हैं जिससे इस कानून के प्रावधानों से जैविक परिवर्धित जीएम खाद्यों को छूट मिल जाए । अधिनियम के तहत ही खाद्य पैकेजों की लेबलिंग की जाती है । संषोधित अधिनियम के तहत जीएम खाद्यों की संक्षिप्त परिभाषा से जीएम खाद्यों को लेबलिंग से छूट मिल सकेगी ।

21. प्रयोगषालाओं की अधिसूचना से संबंधित चैप्टर 10 के तहत कहा गया है कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की विकासित हो रही प्रकृति और उपकरणों तथा सुविधाओं को देखते हुए गैर अधिमान्य प्रयोगषालाओं को अधिसूचित नहीं किया जाए । अगर यह उभरती हुई प्रौद्योगिकी है तो इसके लिए इंतजार करना क्या ठीक नहीं होगा ?

22. प्रस्तावित विधेयक में स्वागत योग्य प्रावधान : प्राधिकरण और उसके ट्रिब्यूनल आदि में काम करने के बाद बाहर किसी पद पर दो साल तक काम करने पर प्रतिबंध । यह स्वागत योग्य कदम है ।

———————————————————————————

चेयरमैन राष्ट्रीय जैव संरक्षा संरक्षण प्राधिकरण व दो सदस्य

|

अंतर मंत्रालयीन प्राडक्ट्स रूलिंग कमेटी

|

जैविक प्रौद्योगिकी सलाहकार परिषद		स्वतंत्र परीक्षण
1. कृषि , वानिकी डिवीजन अनुप्रयोग डिवीजन	2. मानव , पषु स्वास्थ्य डिवीजन	3. औद्योगिक व पर्यावरणीय
1. जोखिम आकलन इकाई	1. जोखिम आकलन इकाई	1. जोखिम आकलन इकाई
2. प्रवर्तन इकाई	2. प्रवर्तन इकाई	2. प्रवर्तन इकाई

———————————————————————————